

18/7/2023

दिनांक 17/07/2023 को जिला कलेक्टर
अहमदनगर द्वारा अधिकांश घोषित होने से
पत्रावली आज को ही अखिलव्यवस्था
उपान्वित। तदन्तर्गत चित्तौड़गढ़ से जरिए
का क्रमिक राजपत्र 2023/355 दिनांक
20/6/2023 से प्राथमिक डिप्टी की पालना
में मौका विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए
जो शामिल मिला किया जावे।

विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो जाने
से वही अखिलव्यवस्था वाली (पुनी शर्मा)
अखिलव्यवस्था वाली ने कथन किया कि
प्राप्त मौका विभाजन प्रस्ताव अनुसार
वार पर अन्तिम डिप्टी किये जाने
का कौशल प्रदान करावे।

हमने पत्रावली का अधिकांश
अखिलव्यवस्था वाली के
निवेदन पर गहनता से मगन किया
प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिप्टी
के अनुक्रम हैं। अतः वही विभाजन
प्रस्ताव वाली का वार पर बाबर गाम
जोहड़ा वरुण देवरी की आराजी परम्परा
32 मी. 34 मी. 35 मी. की लंबाई कुल रकबा
0.4034 है। निम्नानुसार अन्तिम डिप्टी
किया जाता है :-

----- लगातार

20
(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
वार 63/2022 (2022/152)

नम्बर
अहक
हुक्म क्रम
में जा

क्र. सं.	नाम स्वामिदार	आ. नं.	रकम	कि. म.	(म. ग.)
1.	अशोक कुमार पुत्र मोहनलाल काली सा. बहेतियों की गली चित्तौड़गढ़ स्वामिदार	35 34 मैल दक्षिण	0.0734 0.0258	चाही II चाही II	1.84 0.65
	कीता	2	0.0992		2.49
	देवा पुत्र जीतु डोंगी 1513/3402 सा. देह स्वामिदार अंजु पुत्र खोगा डोंगी 1529 सा. देह स्वामिदार रुचन आई. सी आई. सी आई. बेंक लि. शारदा कन्नोज	32 मै 34 मैल	0.1900 0.1142	चाही II 0.1700 बीड 0.10200 चाही II	4.25 0.05 2.85
	कीता	2	0.3042		7.15

1513
3042

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड
में अमलदारों को किया जावे। विभाजन
प्रस्ताव के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेज डिप्टी
का पारि रहेगा। निर्णयानुसार डिप्टी
जावे हों। निर्णय लिखवाया जाकर
सूरे इतलास सुनाया गया। पञ्जामी
जोषल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

09/11/2022

पर करी हतका देवरी द्वारा अज्ञात
कराया गया कि उ. सं. 63/2022
में दिनांक 18/7/2023 को चारित
डिप्टी में कु. सं. 2 पर देवा पिता जीवु
जोगी 1513/3042 के बजाय 1513/3402
अंकित होगा है। (लिगट
ले पत्रावली तलब करने पर पत्रावली
द्वारा प्रकाश में दिनांक 18/07/2023
को चारित निर्णय एवं डिप्टी द्वारा
तहसील चित्तौड़गढ़ ले प्राप्त मोफ्त
विभाजन प्रस्ताव का गहनता से
अवलोकन किया। तहसील ले प्राप्त
विभाजन प्रस्ताव एवं उसके अंतर्गत
पत्रावली द्वारा देवा पिता जीवु
जोगी हिल्ला 1513/3042 अंकित है।
जबकि दिनांक 18/7/2023 को चारित
निर्णय एवं डिप्टी में कु. सं. 2 पर
1513/3042 के बजाय 1513/3402
अंकित होगा है। उक्त त्रुटि एवं
लिपिभ्रम त्रुटि है, जिसे सुधारा
किया जाना उचित है। अतः प्रकाश
में दिनांक 18/7/2023 को चारित निर्णय
डिप्टी के कु. सं. 2 पर देवा पिता जीवु
जोगी हिल्ला 1513/3402 के बजाय
1513/3042 अंकित किए जाने के
आदेश दिए जाते हैं। (माल भाग)
एवं अनेक किया जावे। पत्रावली
उ. सं. नम्बर पर रची जावे।

24
सिद्धांत
 जज अहमदाबाद
 आधिकारी

मूल वाद मे डिक्री

4340

(आदेश 2 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर चित्तौडगढ़ बईजलास
श्री रामचन्द्र खटीक उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर चित्तौडगढ़

1.अशोक कुमार पिता मोहनलाल कलंत्री नि.चित्तौडगढ़ तह. व जिला चित्तौडगढ़

-वादी

बनाम

1.देवा पिता जीतु डांगी नि.देवरी तह.व जिला चित्तौडगढ़

2.भैरु पिता छोगा डांगी नि.देवरी तह.व जिला चित्तौडगढ़

3.आई.सी.आई.सी.आई बैंक कनौज जरिये मैनेजर आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा
कनौज तहसील भदोसर जिला चित्तौडगढ़

4.श्रीमान् भूमिधारी जी तहसीलदार साहब चित्तौडगढ़

-प्रतिवादीगण

प्र.स. 63/2022 (GCMS 2022/152)

वादपत्र अर्न्तगत धारा 53 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से वकील किशनलाल कुमावत की, और प्रतिवादीगण की ओर से वकील
श्री - की उपस्थिति मे यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम
निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि
हस्ब विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद पत्र बाबतज् ग्राम फतेहगए प.ह. देवरी की आराजी
संख्या 32 मी., 34 मी., 35 मी. कीता 3 कुल रकबा 0.4034 हे. निम्नानुसार अन्तिम डिक्री
किया जाता है :-

क्र. स.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1.	अशोक कुमार पुत्र मोहनलाल कलंत्री सा. बाहेतियों की गली चित्तौडगढ़ खातेदार	35 34 मे से दक्षिण	0.0734 0.0258	चाही 2 चाही 2	1.84 0.65
	कीता	2	0.0992		2.49
2.	1- देवा पुत्र जीतु डांगी 1513/3402 सा. देह खातेदार	32 मी.	0.1900	चाही 2 (0.1700) बीड (0.0200)	4.25 0.05
	2- भैरु पुत्र छोगा डांगी 1529/3042 सा. देह खातेदार रहन आई सी आई सी आई. बैंक लि. शाखा कननोज	34 मे से	0.1142	चाही 2	2.85
	कीता	2	0.3042		7.15



(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ़


A4)

शुक्रानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। विभाजन प्रस्ताव के साथ नक्शा ट्रेस डिक्री का पार्ट रहेगा। इस वाद के खर्च - प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा - को दी जावे। यह आज दिनांक 18.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।



(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

नकल नक्शा देवा ग्राम-मतेहा. प. ह. देवरी
 तह. व जिला चित्तौड़गढ़ प्रस्तावित



5

5
 100

Sonikey
 95/64/23
 पटवारी हल्का देवरा
 तह. व जिला-चित्तौड़गढ़

Shri